न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

किस्म मुकदमा :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
12/2020	29.07.2020	07.10.2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्री थानसिंह, दीवनसिंह, अमरसिंह पिसरान बाबूलाल मीना निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री थानसिंह, दीवनसिंह, अमरसिंह पिसरान बाबूलाल मीना निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि आराजी खसरा नम्बर 405 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण बाउन्ड्री बाल बना कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 06.08.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर जरिये वकील अपना जबाव पेश किया। अपने जबाव में गैरसायल द्वारा जाहिर किया गया कि उसके द्वारा उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। गैरसायल द्वारा अपने जबाव के साथ अपने अतिक्रमण नही होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री थानसिंह, दीवनसिंह, अमरसिंह पिसरान बाबूलाल मीना निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि खसरा नम्बर 405 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्व होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.16 रूपये का 50 गुना राशि 8 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल एवं अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली एवं पक्का निर्माण ध्वस्त करने व सामग्री जप्ती तथा वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)